राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 11(8)नविवि/2020/00825 जयपुर, दिनांक 15.5.2025

:: आदेश::

नगरीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र में क्लब निर्माण का प्रचलन हाल के वर्षो में काफी बढा है। क्लब को भू–रूपान्तरण एवं निर्माण स्वीकृति के दृष्टिगत किस श्रेणी में रखा जावे, इस बाबत निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:–

1. सामान्यतः अनुमोदित आवासीय योजनाओं (प्लॉटेड व फ्लैटेड) में विकासकर्ता द्वारा निवासियों की सुविधा के दृष्टिगत क्लब हाउस विकसित किये जाते है। इन क्लब हाउस का स्वामित्व योजना पूर्ण होने पर विकासकर्ता द्वारा संबंधित आर.डब्ल्यू.ए. को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित होता है। फ्लैटेड योजनाओं में इन क्लब हाउस हेतु निर्माण स्वीकृति सम्पूर्ण योजना की निर्माण स्वीकृति के साथ ही ले ली जाती है, वहीं प्लॉटेड योजना में विकासकर्ता द्वारा क्लब हाउस हेतु आरक्षित भूमि पर क्लब हाउस निर्माण हेतु अलग से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जाती है। ऐसे क्लब हाउस को पूर्व की भांति आगे भी " अन्य सामुदायिक सुविधा" में माना जायेगा।

2. निजी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे क्लब हाउस जिनमें विकासकर्ता/संचालनकर्ता द्वारा नियत राशि ली जाकर व्यक्तियों को मैम्बरशीप दी जानी प्रस्तावित है। ऐसे प्रकरणों को व्यावसायिक प्रकृति का मानते हुये भू–रूपान्तरण एवं निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही की जावे।

3. ऐसे प्रकरणों में जिसमें विकासकर्ता निर्मित भवन का एक भाग होटल हेतु संचालित करना प्रस्तावित करता है एवं शेष भाग क्लब हाउस हेतु संचालित करना प्रस्तावित करता है। उन्हें भी व्यावसायिक मानते हुये तदानुसार ही भू–रूपान्तरण एवं निर्माण स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निगम/नगर परिषद/नगरपालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref No.: 15313267

Scanned with OKEN Scanner